(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 41/2023
दिनांकः 27 अक्टूबर, 2023

विषयः मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

सा.आ.(अ): केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 03/2023 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा हलाल प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के साथ–साथ निर्यात इकाइयों के पंजीकरण, दोनों के लिए अगले समय अवधि को छह महीने अर्थात आगे 5 अप्रैल, 2024 तक बढ़ाती है।

2. अधिसूचना का प्रभावः

हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाईयों के पंजीकरण के लिए समय अवधि छह महीने अर्थात 05 अप्रैल, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी
27.10.2023
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी/ई–24267 से जारी)